तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **ओखी बनाम लच्छाराम वगैरह मुकदमा संख्या :— 278 / 2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
15.10.2024	अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा टिटोप में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जा सुदा खेत खसरा संख्या 21 रकबा 3.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 26 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 465 / 759 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा संख्या 477 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 478 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 479 रकबा 3.75 हैक्टेयर जुमले रकबा 9.32 हैक्टेयर आया हुआ है। राजस्व रेकर्ड में खातेदारी प्रार्थीया अकेली के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा कई वर्षों से चला आ रहा है तथा उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग अपनी स्वैच्छा से बेरोक–टोक बिना किसी अवरोध के कर रही है। गिरदावरी प्रार्थीया के नाम से होती है तथा बिघोड़ी भी प्रार्थीया द्वारा नियमित रूप से अदा की जाती है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया की रहवासीय ढाणी व कुंआ बना हुआ है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी के संबंध में अजनबी व्यक्तियान है तथा इनका उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा यह सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 465 / 759 रकबा 0.70 हैक्टेयर से लगती हुई सेढे के पड़ौसी काश्तकार है। अप्रार्थीगण सभी सिरजोर व बदमाश प्रवृति के व्यक्तियान है तथा डण्डे के बल पर प्रार्थीया की जमीन हड़पना चाहते है तथा अपने बदनियती की पूर्ति के लिए अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीया की खातेदारी खेत खसरा संख्या 465 / 759 रकबा 0.70 हैक्टेयर का सेढ़ा / माठ तोड़ते रहते है व हर समय नुकसान पहुंचाने को तत्पर रहते है। अप्रार्थीगण नाजायज मजमा बनाकर प्रार्थीया के भूमि खेत खसरा संख्या 465 / 759 रकबा 0.70 हैक्टेयर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश हुए व सेढा तोड़ने लगे तब प्रार्थीया व उसके परिवार के अन्य सदस्य व गांव के कुछ मौजिज लोग वहां पर पहुंचे व अप्रार्थीगण को बड़ी मुश्किल से समझाया। अप्रार्थीगण द्वारा एलानियां धमकी दी की आज तो वापिस जा रहे है परन्तु कुछ दिनों में उक्त खेत खसरा संख्या 465 / 759 पर जबरन कब्जा कर लेंगे ऐसी सुरत में दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान जी के समक्ष पेश है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया अकेली के नाम दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनता है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीया का है उक्त भूमि को खाद वगैरह डालकर समतल बनाकर उपजाउ बनाया है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीया को डण्डे के बल से जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आकलन दृव्य में किया जाना कतई संभव नहीं होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रार्थीया के पक्ष में है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीया हकदार है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 21, 26, 465 / 759, 477, 478, 479 जुमले रकबा 9.32 हैक्टेयर में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादीर फरमावें कि अप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यो का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र सारहीन, आधारहीन एवं मनगढंत होने से खारिज	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2024.11.29 17:15:58 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सा...

फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीया के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजि. (फा.ट्रे.) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:15:58 IST
Reason: SelfAttested